

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 505]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 1975/पोष 1, 1897

No. 505]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 1975/PAUSA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December 1975

S.O. 723(E).—Whereas the Government of Arunachal Pradesh have intimated a few inadvertent slips or omissions in the description of the extent of certain assembly constituencies mentioned in Table B of the Election Commission's Order of 5 November, 1975, in respect of the Union Territory of Arunachal Pradesh;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the said Order and correct the errors arising from inadvertent slip or omission so as to bring the Order correct and up-to-date;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 43C of the Government of Union Territories Act, 1963, as amended by the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1975, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

In the Appendix to the Order—

- (a) Under item (1) after the entry '16. 3/13/45-Roing', the entry "17 Jamlobari" shall be added; and
- (b) Under item (2) after the entry '13. 5/5/30-Longbow', the entry "14. 5/5/24-Kothin" shall be added.

[No. 282/1/ARUN/75]

V. NAGASUBRAMANIAM, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1975

का० प्रा० 723 (अ).—अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के तारीख 5 नवम्बर, 1975 के आदेश की सारणी ख में वर्णित कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में अनवधानता से हुई भूल या चूक संसूचित की है;

और निर्वाचन आयोग उक्त आदेश को ठीक और अव्यतन करने के लिए अनवधानता से हुई भूल या चूक से परिणामित गलतियों को ठीक करना और उक्त आदेश में कुछ संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अतः, अब संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा यथा संशोधित संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 43ग की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है :—

उक्त आदेश के परिशिष्ट में—

- (क) मद (1) के नीचे, प्रविष्टि “16. 3/13/45—रोइंग” के बाद “17. जामलोबारी” प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी; तथा
- (ख) मद (2) के नीचे प्रविष्टि “13. 5/30—लॉंगबो” के बाद “14. 5/5/24—कोथिन” प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी ।

[सं० 282/1/अरुणा/75]

वी० नागमुन्नमण्यन, सचिव ।